

(2)

प्रस्तावित पेट्रोल पम्प निर्मित किए जाने तथा उपरोक्तानुसार प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं की स्थापना किये जाने के उपरान्त पेट्रोल पम्प आरम्भ करने से पूर्व स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

अतः उपरोक्त शर्तों के अधीन ग्राम-चंदपुरा सीकमपुर, तहसील टाण्डा जिला रामपुर के अन्तर्गत इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० बरेली द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट(पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी आख्या संस्तुति सहित निर्गत की जाती है, अन्यथा की स्थिति में निर्गत की जा रही आख्या स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जनपद रामपुर।

(संजीव कुमार शर्मा)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जनपद-रामपुर (उ.प्र.)

शील कृष्ण धवन/Sheel Krishan Dhawan
वरिष्ठ प्रबंध (रिटेल सेल्स), Sr. Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि. (एम. डी.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
35-ए, कमला नेहरू मार्ग/35-A, Kamla Nehru Marg
बरेली-243001 (उ.प्र.)/Bareilly-243001 (U.P.)